संख्या : 3941 /62-2-2012-2/2(10)2012

प्रेषक

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20. नवम्बर,2012

विषयः - निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्रों में 31 मीटर से 60 मीटर गहराई में सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु ''मध्यम गहरे नलकूप योजना'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 932-1/2/12(14)/2001 दिनांक 19.05.2004 एवं समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- उक्त योजना के क्रियान्वयन में दृष्टिगोचर हुई विभिन्न कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में इस योजना को संशोधित स्वरुप में संचालित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त योजना हेतु अनुदान संख्या-13 में चालू योजना के अन्तर्गत तथा अनुदान संख्या-83 एवं 81 में नई मदों के अन्तर्गत बजट प्राविधान हुआ है।

3- उक्त योजना के स्वरुप में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के समाधान हेतु मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिये समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 0.68लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, अनुमन्य कर दिया जाए। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण होने के पश्चात नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके फलस्वरुप वर्तमान में नलकूप निर्माण हेतु रू0 75,000.00 का जो अनुमन्य अनुदान है, उसमें बोरिंग /ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबिल पम्प, पम्प हाउस इत्यादि की लागत ही सम्मलित की जायेगी। परन्तु ऊर्जीकरण हेतु उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि ऊर्जीकरण के लिये समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि से संयोजन के लक्ष्य निर्धारित कर संयोजन प्रदान

क्रमशः 2 पर

किये जायेंगे तथा वाँछित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष (2013-14) से अनुमन्य होगी एवं तदनुसार अनुदान संख्या-9 से ऊर्जा विभाग को दी जा रही राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।

(ii) बोरिंग फेल होने की समस्या के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर (जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी) यदि बोरिंग फेल होती है और निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में आते है तो विभागीय कर्मचारियों /अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा :

(अ) उपयुक्त सही साइज का एवं समुचित मात्रा में पी-ग्रेवल का न डाला जाना ।

(ब) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।

(स) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।

(द) सामग्री के प्रयोग में कमी।

(य) अधोमानक सामग्री का प्रयोग।

(र) वर्कमैनशिप में कमी।

यदि बोरिंग का 6 माह अथवा 1 सीजन में उपयोग हो गया है और उपरोक्त अवधि में बोरिंग ठीक ढंग से कार्य करती रही है तो विभाग का दायित्व न मानते हुए कृषक की शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होगी। विभागीय दोष के कारण बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा दोबारा बोरिंग कराये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण मा० विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा। दोबारा बोरिंग किये जाने का निर्णय लेने के फलस्वरूप व्ययभार के वहन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी। अपितु इसका वहन विभागीय स्टाक सेविंग/कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चातः पुनः बोरिंग कराने पर हुए व्यय की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करते हुए धनराशि को राजस्व मद में जमा किया जाएगा।

(iii) बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक यदि कृषक अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह अनुदान का हकदार होगा। अन्यथा स्थिति में यदि कोई अनुदान अवशेष बचता है तो उसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व मद में जमा कर दिया जायेगा।

(iv) नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु बजटीय आवंटन (सी०सी०एल०) से उपलब्ध धनराशि तथा कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि को जोड़कर कुल उपलब्ध धनराशि में से पहले बजटीय आवंटन (कुल सी०सी०एल० रू० 85,000.00) का उपयोग किया जाय तथा उसके उपरान्त कृषक द्वारा जमा

कमशः 3 पर

धनराशि का उपयोग इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाय कि मध्यम नलकूप के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 75,000.00 एवं रू0 10,000.00 कमशः देय होगा।

4- मध्यम गहरे बोरिंग योजना के कियान्वयन के संबंध में समय-समय पर निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

5- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

सं0:-3941 (1)/62-2-2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/कार्यकम कियान्वयन/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6- महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11-समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
12-उपनिदेशक, सांख्यकिय सेल, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
13-अधीक्षण अभियंता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
14-अधिशासी अभियंता, आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
15-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।